न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 07/2020

उनवान

1. कचरा पिता कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, हाल गोपीनाथ का गड़ा तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
2. मंगु पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. भेमा पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
2. कलु पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
3. तहसीलदार, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 06.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, जो कि संवत् 2030 में जमाबन्दी खाता संख्या 43 के निम्नलिखित सर्वे नम्बर (1) 979 रकबा 0.11 बिस्वा, (2) 980 रकबा 0.06 बिस्वा, (3) 981 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, (4) 1000 रकबा 0.08 बिस्वा, (5) 1106 रकबा 0.19 बिस्वा, (6) 1055 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, (7) 1280 रकबा 0.11 बिस्वा, (8) 1214 रकबा 0.05 बिस्वा, (9) 1001 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, (10) 1002 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, (11) 1003, रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, (12) 1004 रकबा 0.14 बिस्वा, कुल खेत नंग 12, कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा। उक्त खेत मूल पुरूष कालिया पिता धुलिया के खाते में दर्ज रेकार्ड है तथा कालिया की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्तं करते चले आ रहे है और उनके मकान भी बने हुए है। मूल खातेदार कालिया पिता धुलिया की मृत्यु विगत 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं कालिया की वंशावली निम्नानुसार हैः—

कालिया पिता धुलिया (फौत)

कचरा	मंगु	भेमा	कलु
वादी स01	वादी स0 2	प्रतिवादी स01	प्रतिवादी स02

उक्त कालिया के खाते की कृषि भूमि में [illegible] दौरान निम्नलिखित नये सर्वे नम्बर बने है :—

(1) 979 रकबा 0.11 बिस्वा	नये सर्वे नं. 907 रकबा 0.21 है.
(2) 980 रकबा 0.06 बिस्वा	
(3) 981 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा	नये सर्वे नं. 908 रकबा 0.31 है.
(4) 1000 रकबा 0.08 बिस्वा	नये सर्वे नं. 903 रकबा 0.09 है.
(5) 1106 रकबा 0.19 बिस्वा	नये सर्वे नं. 1333,रकबा 0.18 है.
(6) 1055 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मी.	नये सर्वे नं. 1028 रकबा 0.21है.
(7)1280 रकबा 0.11 बिस्वा	नये सर्वे नं. 1024 रकबा 0.02है.

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:15 IST
Reason: SelfAttested

नये सर्वे नं. 1178 रकबा 0.07है.

(8) 1214 रकबा 0.05 बिस्वा — नये सर्वे नं. 1232 रकबा 0.04है.

(9) 1001 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा — नये सर्वे नं. 902 रकबा 0.16है.

(10) 1002 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा मी. — नये सर्वे नं. 900 रकबा 0.18है.

(11) 1003 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा

(12) 1004 रकबा 0.14 बिस्वा — नये सर्वे नं. 921 रकबा 0.21है.

इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान पुराने खेत उक्त नये सेटलमेन्ट में बने है। इस प्रकार वर्तमान खाता नयी 325, पुरानी 266, कुल खेत नंग 11, कुल रकबा 1.68, कुल लगान 538, वाके ग्राम बेडवा, पटवार हल्का बेडवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र परतापुर, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में संवत् 2072 से 2075 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त खाते के खेतो पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मूल पुरूष कालिया की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारी और ग्राम पंचायत द्वारा कालिया की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम ही जरिये म्युटेशन संख्या 96 दिनांक 16.12.1979 को खाता दर्ज कर लिया गया है जो अवैध होकर शुन्य है, क्योंकि उक्त खाते में मूल पुरूष कालिया की मृत्यु के बाद नियमानुसार. कालिया के सभी वारिस अर्थात वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम खाता दर्ज होना था, परन्तु राजस्व कर्मचारी और ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण खोलकर कालिया की मृत्यु के बाद खाता दर्ज कर लिया गया है जो अवैध होकर निष्प्रभावी होकर काबिज निरस्ती है। इसलिए उक्त खाते में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ वादीगण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करना कानूनन आवश्यक है, इसलिए आप श्रीमान् न्यायालय में यह वाद पत्र धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार, अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने कार्यवाही पत्रावली "प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021" के तहत् आयोजित शिविर स्थल पर पेश होने पर वादीगण के बयान् लेखबद्ध किये जाकर मजमें–आम में सरपंच ग्राम पंचायत बेडवा, अन्य मौतबिरान से जानकारी ली जाने पर वादगस्त भूमि के मूल खातेदार स्व0 श्री कालिया के 04 पुत्रों में से वादीगण का खातें में नाम नही जोड़ा जाना बतातें हुऐ वादीगण को स्व0 श्री कालिया के वारिसान के रूप में सहखातेदार घोषित किया जाना अवगत कराया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न अभिलेख तथा "प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021" के तहत् आयोजित शिविर स्थल पर मजमें–आम में लिये गये बयान का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूॅचा हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार स्व0 श्री कालिया के वारिसान है।

अतः पटवार हल्का बेडवा के मौजा बेडवा की खाता संख्या 325 (नई) 266 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ कचरा, मंगु को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:15 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

पटवार हल्का बेडवा के मौजा बेडवा की खाता संख्या 325 (नई) 266 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ कचरा, मंगु को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतःउपखण्ड अधिकारी, मुकाम गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 07/2022

उनवान

1. कचरा पिता कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, हाल गोपीनाथ का गड़ा तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
2. मंगु पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. भेमा पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
2. कंलु पिता श्री कालिया, जाति भील, निवासी बेडवा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
3. तहसीलदार, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 06.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का बेडवा के मौजा बेडवा की खाता संख्या 325 (नई) 266 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ कचरा, मंगु को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसबत मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
		कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

06.8.24

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। बहस पर मनन किया गया वादी के वाद एवं दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में पृथक से निर्णय जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:22:15 IST
Reason: SelfAttested